

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषय:- मा० संसद- सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में

- 1- सं०-२५८६/७९-सं-१-२००७-६६सं/१९८८, दि० १४ नवम्बर, २००७
- 2- सं०-२७५/७९-सं-१-२००८-१०सं/२००८, दि० ०६ फरवरी, २००८
- 3- सं०-१४८३/७९-सं-१-२००८-६६सं/१९८८ दि० ३० मई, २००८
- 4- सं०-२३८३/७९-सं-१-२००८-१०९सं/२००८ दि० २१ अक्टूबर, २००८
- 5- सं०-२८५/७९-सं-१-२००९-२४सं/२००९, दि० ३१ मार्च, २००९
- 6- सं०-७६२/७९-सं-१-२००९-६६-सं/१९८८, दि० २८ मई, २००९
- 7- सं०-६४३/७९-सं-१-२००९-२८सं/२००९, दि० १८ जून, २००९
- 8- सं०-५४५/९०-सं-१-२०११-३८सं/२०११, दि० ११ मई, २०११
- 9- सं०-६०२/९०-सं-१-२०११-४३सं/२०११, दि० २५ मई, २०११
- 10- सं०-११४७/९०-सं-१-२०१२-६६सं/१९८८, दि० १२ अक्टूबर, २०१२
- 11- सं०-६०८/९०-सं-१-२०१३-६६सं/१९८८, दि० १० मई, २०१३
- 12- सं०-१२२३/९०-सं-१-२०१३-१४सं/२०१३ दि० २५ सितम्बर, २०१३
- 13- सं०-१५४१/९०-सं-१-२०१३-६६सं/२०१३, दि० ३१ दिसम्बर, २०१३
- 14- सं०-११७३/९०-सं-१-२०१४-७०सं/८४ दि० २५ अगस्त, २०१४
- 15- सं०-२१४/९०-सं०शि०प०का०/२०१५-०२सं०शि०/२०१५, दि०१५सितम्बर, २०१५
- 16- सं०-८३१/९०-सं०शि०प०का०/२०१६-०२सं०शि०/२०१५, दि० २८ अक्टूबर १६
- 17-सं०-४७८/९०-सं०शि०प०का०/२०१७-०२सं०शि०/२०१५, दि० १९ सितम्बर, १७

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अर्द्धशा० पत्र संख्या-११०१३/४/२०११-स्था (क)दिनांक ०८ दिसम्बर, २०११ संपादित समसंख्यक कार्यालय जाप संख्या- दिनांक ०१ दिसम्बर, २०११, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रशासन तथा संसद एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य-व्यवहार में समुचित आचरण का अनुपालन करने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश उल्लिखित हैं। सूच्य है कि उक्त अर्द्धशा० पत्र मुख्य सचिव के पत्र संख्या-६६५/९०सं-१-२१२-७०सं/१९८४ दिनांक २५ जून, २०१२ के द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

२- इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जारी किये गये पार्श्वक्रियता शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा- निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा० संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

२- इस सम्बन्ध में विशेष रूप से

(3) सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91 दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत संशोधित सहायक पूर्वाधिपत्र (सम्बिंदियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के अनुसार मा० सांसदों व मा० विधायकों को क्रमशः कोटिक्रम 22 तथा 22-अ में रखा गया है तथा राज्य के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुक्त, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि समस्त अधिकारी मा० विधायकों से कोटिक्रम में नीचे हैं।

(4) सभी सरकारी अधिकारियों से पुनः यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति-स्वीकार (Acknowledge) की जाय और शीघ्रतापूर्वक सम्यक विचारोपरान्त उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाय। अधिकारी मा० जनप्रतिनिधि के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगे। साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। यदि संसद/ राज्य विधान-मण्डल के माननीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में उनसे भैंट करते हैं तो उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सीट से खड़े होकर उनका स्वागत करें तथा उनसे यथास्थिति जलपान/ जल ग्रहण हेतु आग्रह करेंगे। उनसे वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो अधिकारी द्वारा अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से मा० सदस्य को विनम्रतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह राज्य विधान-मण्डल के माननीय सदस्यों को खड़े होकर सम्मानपूर्वक विदा करेंगे।

(5) सार्वजनिक कार्यक्रमों के निमंत्रण/ आमंत्रण पत्र/आयोजन में पूर्वाधिपत्र (सम्बिंदियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/21/93-का-1-2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शासन द्वारा कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि से किए जा रहे कार्यों का कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हँसियत से भाग नहीं लेंगे। इस शासनादेश द्वारा पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2001 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुनः प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सम्बिंदियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपर्युक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य- प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन 30 प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.- ~~सम्बन्ध~~ का प्रस्तर - (2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समर्यों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अतः शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
2
(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।
क्रमांक: ---/3

संख्या- ५५५०) १०-स०शि०प०का०/८२(स०शि०)/१५ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 6- ३० प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव।